संख्या: फिन(पैन)ए(3)-1/90
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त विभाग (पैंशन कक्ष)

.....

शिमला-171002, 15 फरवरी, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सेवा निवृत्ति के बाद के पति- पत्नी को कुटुम्ब पैंशन का दिया जाना ।

अधोहस्ताक्षारी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(14)(ब)(i) के अनुसार सेवा निवृत्ति के बाद के दम्पत्ति कुटुम्ब पैंशन के हकदार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1988 की रिट याचिका संख्या: 1128 तथा 1204 जो श्रीमति भगवन्ती तथा श्रीमति [illegible]स्वामी ने दायर की है, को मान लिया है । उपरोक्त दोनों ने सेवा निवृत्ति के पश्चात विवाह किया था तथा कुटुम्ब पैंशन का दावा उपरोक्त याचिकाओं में किया था ।

2. भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन से संबंधित मामले पर विचारोपरान्त कुटुम्ब पैंशन स्कीम, 1964 का लाभ सेवा निवृत्ति के बाद के दम्पत्तियों को भी प्रदान कर दिया है । अत: इस मामले पर विचारोपरान्त राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश यह निर्णय सहर्ष लेते हैं कि कुटुम्ब पैंशन योजना, 1964 की सुविधा का लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद के दम्पत्ति के लिए भी पैंशन भोगी की मृत्यु के ठीक बाद की तारीख से अनुज्ञेय होगा।

3. सेवा निवृत्ति के बाद के दम्पत्ति में से किसी एक मृतक के संबंध में कुटुम्ब पैंशन की बकाया जीवन पर्यन्त राशि (लाईफ टाईम एरियर), जहां कहीं अनुज्ञेय हो, उनके कुटुम्ब के सदस्यों/ उत्तराधिकारियों को भी पात्रता की तारीख से मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए देय होगी जहां कुटुम्ब पैंशन के लिए पात्र पति या पत्नी पात्रता की सम्बन्ध [illegible] जिसकी मृत्यु उस तारीख के बाद हुई थी ।

..2/-

4. कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी तथा इसका भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में विनियमित किया जाएगा।

5. यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के उन समस्त कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमा-वली, 1972 के प्रावधान लागू होते है।

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(14)(ख)(i) तथा (iक) में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किया जा रहा है।

[illegible]

जगदीप

(जगदीप सहगल)
उप सचिव (वित्त-पेंशन)

सेवा में,

हिमाचल प्रदेश सरकार के
समस्त प्रशासनिक विभाग।

. . . . . .

संख्या: फिन(पेन)ए(3)-1/90 दिनांक 15-2-1991

प्रतिलिपि:

1. हिमाचल प्रदेश में समस्त मण्डल आयुक्त।
2. हिमाचल प्रदेश में समस्त विभागाध्यक्ष।
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त जिलाधीश।
4. हिमाचल प्रदेश में समस्त जिला कोषाधिकारी/उप कोषों के कोषाधिकारी।
5. समस्त संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा)/उप नियंत्रक (वित्त व लेखा)/सहायक नियंत्रक (वित्त व लेखा) तथा अनुभाग अधिकारी (एस.ए.एस.) जो कोष व लेखा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
6. हिमाचल प्रदेश में समस्त बोर्ड/कारपोरेशनें तथा विश्वविद्यालय।
7. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० व ह०) हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
8. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश शिमला-3 को 20 प्रतियों सहित।

....3/-

NO:Fin(Pen)A(3)-1/90
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FINANCE DEPARTMENT (PENSION CELL)

(10)

DATED SHIMLA-171002 15th Feb. 1991.

"OFFICE MEMORANDUM"

Subject: GRANT OF FAMILY PENSION TO THE POST-RETIRAL SPOUSES.

The undersigned is directed to say that according to rule 54(14)(b)(i) of the CCS(Pension)Rules, 1972, the post retiral spouses are not entitled to family pension. Supreme Court of India allowed two petitions filed by Smt. Bhagwanti and Smt. Sharda Swamy(No. 1128 and 1204 of 1988). In their petitions, these widows had claimed benefits of family pension(they had married after retirement).

2. Government of India, after considering the matter regarding implementation of the judgement of the Supreme Court has decided to extend the benefit of family pension scheme, 1964 to the post retiral spouses from the date following the date of death of the pensioner. Matter has also been considered by the State Government and the Governor, Himachal Pradesh is pleased to decide that the benefit of family pension scheme, 1964 will also be admissible to the post retiral spouses in respect of Himachal Pradesh Government employees from the date following the date of death of the Pensioner.

3. Life time arrears, whereever admissible, of family pension in respect of spouses of the deceased post-retiral spouses would also be payable to their family members/heirs where the spouse eligible for family pension was alive on the date of eligibility and who dies subsequent to that date, for the period from the date of eligibility to the date of death.

4. The sanction of family pension and its payment will be regulated in accordance with the procedure laid down in the CCS(PENSION)Rules, 1972.

5. These orders shall apply to all such employees of Himachal Pradesh Government to whom provisions of CCS(Pension)Rules, 1972 are applicable.

6. Formal amendments to the rule 54(14)(b)(i) and (ia) of the CCS(Pension)Rules, 1972 are being issued separately.

(Jagdeep Sehgal)
Deputy Secretary (Finance-Pension)
to the Govt. of Himachal Pradesh.

To

All Administrative Departments of the Government of Himachal Pradesh.